उ0 प्र0 भारत स्काउट और गाइड

डा0 प्रभात कुमार, आई0ए0एस0
मुख्य आयुक्त उ0प्र0
कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0

पत्रांक CS-1004/2210/2018-19
दिनांक 28/02/2019

सेवा में,

कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
उ0प्र0 ।

विषयः— उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को प्रभावी ढ्ग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप को अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नही, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा—भाव, भाई चारा, संगठन एवं नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हे उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है।

2— लार्ड बेडेन पावेल ने युवा वर्ग को रोवर/रेंजर की संज्ञा देते हुए उनकी आयु 15 से 25 वर्ष निश्चित की और 24 युवकों के दल को रोवर क्रयू और 24 युवतियों के दल को रेंजर टीम का नाम दिया। रोवर लीडर/रेंजर लीडर की आयु कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। क्रयू/टीम लीडर बनने से पूर्व इनके लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। रोवर/रेंजर दलों के माध्यम से जहाँ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं उनके द्वारा तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु समुचित वातावरण बनाये जाने में सहायता मिल सकती है, जैसे — दहेज उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओं—बेटी पढ़ाओं, मतदाता जागरूकता अभियान आदि। इसके अतिरिक्त शासन की विकास योजनाओं के प्रचार व प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में रोवर/रेंजर की टीमों को लगाया जा सकता है।

3— रोवर क्रयू /रेंजर टीम के माध्यम से जहाँ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शासन की विकास योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व

........2

"NIRMAL HINDON" Initiative : आओ मिलकर हिंडन को निर्मल और अविरल बनाये!
www.nirmalhindon@in
सम्बद्ध : भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय प्रधान केन्द्र : महात्मा गाँधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
रजिस्ट्रेशन संख्या एस0 452/1950-1951
प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ-226006
E-mail : upscoutsguides@yahoo.com. Website : www.upbsg.org. Ph No 522-2332928

के कार्यो मे भी रोवर/रेंजर दलों को लगाया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियो मे भी युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या मे स्काउटिंग/गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। अतः प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयो मे रोवर/रेंजर दलों को गठित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही अपेक्षित है।

4– (1) सयुक्त सचिव शिक्षा उ0प्र0 शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1059/15 11. 88–3(14)88, उ0प्र0 शासन, शिक्षा (11) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 08 मार्च, 1988 द्वारा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क से प्राप्त धनराशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग स्काउट/गाइड कार्यक्रम एवं रोवर/रेंजर दलों में व्यय करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है।

(2) रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2130/सत्तर–2–2003 –16 (106)/03 उच्च शिक्षा अनुभग–2, लखनऊ दिनांक 27 जून, 2003 द्वारा बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिमान्य अंक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम तथा इसके शिविरों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इससे छात्र छात्राएं जहाँ सर्वांगिण व्यक्तित्व विकास में इसकी उपयोगिता को अनुभव करेंगे वहीं बी0एड0 कक्षा में प्रवेश पाने के लिए भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर प्रशिक्षण सहायक सिद्ध होंगें।

5– उपरोक्त के परिपेक्ष्य में शासन के निर्देशों के अनुरूप रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

(1) समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयो में (जहाँ अभी तक रोवर क्रयू/रेंजर टीम का गठन नहीं हो पाया है) न्यूनतम एक रोवर क्रयू /रेंजर टीम का अनिवार्य रूप से गठन कर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से पंजीकृत कराया जाय। सुविधा हेतु पंजीकरण फार्म की छायाप्रति संलग्न है जिसकी आवश्यकतानुसार छायाप्रतियाँ भी करायी जा सकती हैं। साथ साथ जहाँ ये दल पूर्व से गठित हैं वहाँ उनकी सँख्या में वृद्धि की जाय।

.......3

(2) प्रत्येक रोवर क्रयू के लिए एक पुरूष प्राध्यापक एव रेंजर टीम के लिए एक महिला प्राध्यापिका को नामित किया जाये जो कमशः रोवर लीडर एवं रेजर लीडर से सम्बोधित होंगे। नामित रोवर लीडर/रेंजर लीडर को प्रगतिशील प्रशिक्षण के अतर्गत उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा प्रारम्भ में बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवरिंग/रेंजरिंग के प्रति छात्र/छात्राओं को प्रेरित करनें और अधिकाधिक दलो की स्थापना करानें की व्यवस्था करने की कृपा करे। इस हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड संस्था से जिस सहयोग की आवश्यकता होगी वह सुलभ होता रहेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा), उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3– प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड ।
4– प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार कुलपति से सम्पर्क कर समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित कर उनके पंजीकरण का कार्य अभियान के रूप में चलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्य को अन्तिम रूप प्रदान करें।

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त।